न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/203

1. रमेश आत्मज नारायण धाकड़ निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां हाल निवासी सकतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
2. राकेश आत्मज नारायण धाकड़ निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां हाल निवासी सकतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
3. रामप्रकाश आत्मज नारायण धाकड़ निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां हाल निवासी सकतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
4. अंजना पुत्री नारायण पत्नि सीताराम धाकड़ निवासी ग्राम कनवाडा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
5. ममता पुत्री नारायण पत्नि रामसहाय धाकड़ निवासी ग्राम कैथूदा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0

–अपीलांटगण

बनाम

1. किशना आत्मज जगन्नाथ धाकड़ निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां हाल निवासी सकतपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
2. गिरिराज आत्मज रामधन धाकड़ निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
3. प्रेम पत्नि रामधन धाकड़ निवासी ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0
4. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार नैनवां जिला बून्दी

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 24.12.2025

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 133/2022 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पो0 सं0 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम फतेहगंज पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज०) में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के वर्तमान खाता संख्या 37 की कृषि भूमि खसरा संख्या 19 रकबा 1. 6261 हेक्टेयर स्थित है। इस भूमि का खातेदार कृषक प्रार्थी हैं और इसी हैसियत से काबिज काश्त है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। ग्राम फतेहगंज पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज०) में वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के वर्तमान खाता संख्या 319 की कृषि भूमि खसरा संख्या 17 रकबा 1. 6989 हेक्टेयर स्थित है। इस भूमि के खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। ग्राम फतेहगंज पटवार मण्डल जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज०) में ही वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के वर्तमान खाता संख्या 52 की कृषि भूमि खसरा संख्या 18 रकबा .1. 1731 हेक्टेयर स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 है। नकल जमाबन्दी प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 19 पर प्रार्थी का सदैव का आने जाने का, गाड़ी बैल, हल कुली, ट्रेक्टर–ट्रोली व अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने का रास्ता राजस्व रेकार्ड व नक्शे में दर्ज व मौके पर बने हुये सरकारी रास्ते खसरा संख्या 13 में से होकर खसरा संख्या 17 व 18 की पश्चिमी मेरों के सहारे–सहारे पूरबी ओर उत्तर से दक्षिण हैं जो खसरा संख्या 19 तक पहुंचता है। इस रास्ते को प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" में लाल रंग से अ से ब बिन्दू तक दर्शाया गया है। परिशिष्ट (क) प्रार्थना–पत्र काभक्ति अंग है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 19 में पहुंचने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 ने उपरोक्त रास्ते को खसरा संख्या 17 की उत्तरी मेर जो सरकारी रास्ते खसरा संख्या 13 के सहारे–सहारे हैं पर अभी कुछ दिन पहले तारबंधी करके अवरूद्ध कर दिया है। इस कारण से प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 19 पर जाना आना, खेती काश्त करना मुश्किल हो गया है। प्रार्थी की भूमि के पड़त रहने की पूरी संभावना हो गयी है। प्रार्थी अभी चारधाम की यात्रा गया हुआ था पीछे से प्रार्थी के परिवारजनों ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 से दिनांक 27/6/22 को रास्ता खुलासा करने को कहा तो साफ मना कर दिया। प्रार्थी अभी वापस आया है तब प्रार्थी के परिवार वालों ने सारी बात बतायी। प्रार्थी को रास्ते की सख्त आवश्यकता है। रास्ते के अभाव में प्रार्थी अपनी भूमि पर फसल नहीं कर सकेगा। इससे प्रार्थी के व प्रार्थी के परिवार के भूखों मरने की स्थिति पैदा हो जायेगी। यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त हैं कि वह प्रार्थना–पत्र की चरण

संख्या 4 में वर्णित और परिशिष्ट "क" में अ से ब बिन्दू के बीच लाल रंग से दर्शाये गये रास्ते के अनुसार राजस्व रेकार्ड व राजस्व नक्शे में 13 फीट की चौड़ाई का रास्ता कायम करवाये, मौके पर रास्ते की स्थायी सीमायें कायम करवायें। जिसके अधिकार श्रीमान के न्यायालय को प्राप्त है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की जितनी भी कृषि भूमि रास्ते के उपयोग में आयेगी उसका प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर जमा करने को तैयार है। धारा 251 (क) के आवेदन में कोई मियाद निर्धारित नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद पेश है। प्रार्थना–पत्र रास्ता कायम करने व रास्ता दिलाये जाने का होने से व कृषि भूमियां ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां जिला बून्दी (राज०) में स्थित होने से श्रीमान के न्यायालय को इस प्रार्थना–पत्र में क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना–पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं उचित तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना हैं कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 19 जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में दिया गया हैं पर आने जाने, हल कुली, गाड़ी बैल, ट्रेक्टर–ट्रोली एवं अन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 4 में दिये गये विवरण और परिशिष्ट "क" में अ से ब बिन्दू तक लाल रंग से दर्शाये गये अनुसार खसरा संख्या 17 व 18 की पश्चिमी मेरों के सहारे सहारे पूरबी ओर उत्तर से दक्षिण 13 फीट की चौड़ाई का रास्ता प्रार्थी को दिये जाने, राजस्व रेकार्ड, नक्शे आदि में रास्ता कायम किये जाने व मौके पर रास्ते की स्थायी सीमायें कायम करने का आदेश प्रदान करने और रास्ता बहाल करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाने की कृपा करें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2025 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता व अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 17 व 18 में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 निरस्त किया जावे ।

अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 30/05/2025 वस्तु स्थिति एवं विधान के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य हैं। ग्राम फतेहगंज से सरकारी रास्ता खसरा संख्या 13 में होकर खसरा संख्या 19 पर पहुंचने का वर्षों पुराना रास्ता खसरा संख्या–17 की पूर्वी मेड़ तथा खसरा सख्या 16 की पश्चिमी मेड के सहारे सहारे खसरा संख्या 18 में एवं खसरा संख्या 18 की पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे सहारे होकर खसरा संख्या 19 में पहुंचने का स्थित है जिसका उपयोग प्रार्थी एवं खसरा संख्या 19 के पूर्व में स्थित खसरा संख्या 20 का खातेदार नारायण मीणा सदैव से करते चले आ रहे हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर खसरा संख्या–17 एवं 18 की पूर्वी मेढ पर पहले से ही रास्ता बना हुआ होना और उस पर झींकरा डालकर रास्ते का उपयोग करते चले आने के बावजूद इसी खसरा नम्बर में नया रास्ता पश्चिमी मेढ पर कायम करने का आदेश दे दिया हैं, जो तथ्यों के अनुसार त्रुटि पूर्ण हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस् की और से जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों एवं परिशिष्ट "अ" में दर्शाये गये पूर्वी सीमा पर स्थित रास्ते का विवरण निर्णय पारित करते समय अवलोकन नहीं किया है। धारा–251 (ए) राज०टी०एक्ट में अपीलान्टस् की भूमि पर पहले से ही पूर्वी मेढ पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में पश्चिमी मेढ पर नया रास्ता कायम किया जाना कानून सम्मत् नहीं है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों को निर्णय का आधार नहीं बनाया है। अपीलांटगण के आवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार साहब, नैनवा से वैकल्पिक रास्ते का विवरण मांगा गया था, जिस पर तहसीलदार साहब, नैनवा ने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि मौके पर पूर्वी मेढ पर स्थित वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या–19 तक नहीं पहुँच रहा हैं किन्तु खसरा संख्या–17 की पूर्वी मेढ पर रास्ता बना हुआ होना स्वीकृत तथ्य है। अपीलान्टस् ने यह कथन किया हैं कि खसरा संख्या–17 व 18 की पूर्वी मेढ पर बना हुआ हैं और मौके पर उपयोग में लिया जा रहा हैं। यदि खसरा संख्या–17 की पूर्वी मेढ पर रास्ता बना हुआ है तो उसे खसरा संख्या–19 तक खसरा संख्या–18 की पूर्वी मेढ पर होते हुऐ बनाया जा सकता है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है और न ही निर्णय का आधार बनाया है।

अपीलांटगण अप्रार्थीगण की और से रास्ते के बाबत् प्रार्थी रेस्पोडेन्टस् से पूर्व में किये गये राजीनामा दिनांक 07/06/2018 में भी पूर्वी मेढ पर बने हुऐ रास्ते को स्वीकार किया गया हैं किन्तु इन तथ्यों को निर्णय का आधार नहीं बनाया गया है। वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में अपीलान्टस् को साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया हैं तथा अपीलान्टस् के खाते की भूमि खसरा संख्या–17 एवं 18 की पूर्वी मेढ पर पहले से ही रास्ता होने के बावजूद पश्चिमी मेंढ पर नया रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया हैं, जिससे अपीलान्टस् को भारी क्षति होने और उनकी भूमि नष्ट होने की सम्भावना उत्पन्न हो गई हैं। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी अपीलांट ने स्वयं के खाते की खसरा संख्या 19 वाके ग्राम फतेहगंज तहसील नैनवां की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 17 व 18 की भूमि के पश्चिमी मेर के सहारे पूरब की ओर उत्तर से दक्षिण विद्यमान होने का कथन किया है तथा उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार प्रश्नगत खसरा संख्या 17 की भूमि अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड हे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार खसरा संख्या 18 की भूमि अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण अपीलांटगण का अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र एवं हस्तगत अपील में कथन रहा है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की खसरा संख्या 19 की भूमि में पहुंचने हेतु रास्ता खसरा संख्या 13 में होकर पश्चिम दिशा की ओर से खसरा संख्या 17 की पूर्वी मेड़ तथा खसरा संख्या 16 की पश्चिमी मेंड़ के सहारे होकर खसरा संख्या 18 में एवं खसरा संख्या 18 की पूर्वी मेड़ के सहारे होकर खसरा संख्या 19 तक जाता है जो पहले से ही विद्यमान है। अप्रार्थीगण अपीलांटगण का कथन है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पूर्व से ही विद्यमान होने से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 नया रास्ता कायम करवाने का अधिकारी नहीं है। अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथाकथित वैकल्पिक रास्ते के साथ अपीलांटगण अप्रार्थीगण द्वारा नजरी नक्शा परिशिष्ट–"अ" में लाल स्याही से "ए" से "बी" के रूप में अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट तलब की गई है जो दिनांक

29.01.2024 को पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है तथा कार्यालय तहसीलदार नैनवां के पत्रांक 3006 दिनांक 21.02.2024 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई है। उक्त मोका रिपोर्ट दिनांक 29.01.2024 में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा सख्या 17 व 18 की भूमि में कायम किया जाना प्रस्तावित किया गया है। मोका रिपोर्ट दिनांक 29.01.2024 पर अपीलांटगण अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.05.2025 को आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की खसरा संख्या 19 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 17 व 18 की पूर्वी मेड़ पर विद्यमान होने का कथन किया गया है तथा तथाकथित वैकल्पिक रास्ते बाबत पुनः रिपोर्ट तलब किए जाने का अनुतोष चाहा गया है, साथ ही उक्त आपत्ति प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.05.2025 में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पुत्रों द्वारा वैकल्पिक रास्ते से होकर अपने खाते की भूमि में आने जाने बाबत दिनांक 07.06.2018 को राजीनामा होने का कथन किया गया है। अपने कथनों के समर्थन में अप्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा तथाकथित राजीनामा दिनांक 07.06.2018 की फोटोप्रति पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण अप्रार्थीगण द्वारा मोका रिपोर्ट दिनांक 29.01.2024 पर आपत्ति प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात वैकल्पिक रास्ते की रिपोर्ट तलब की गई जिसकी पालना में पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 20.05.2025 को वैकल्पिक रास्ते के सम्बंध में रिपोर्ट तैयार की गई। मोका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 में तथाकथित वैकल्पिक रास्ता ग्राम फतेहगंज से नाहरगंज जाने वाले रास्ते से खसरा नम्बर 16 की पूर्व मेड़ से होकर खसरा नम्बर 20 की पश्चिमी–उत्तर मेड़ तक होने का अंकन किया गया है, परन्तु तथाकथित वैकल्पिक रास्ते के प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की खसरा संख्या 19 की भूमि तक नहीं पहुंचने तथा उक्त वैकल्पिक रास्ते के अपूर्ण होने का अंकन किया गया है। मोका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 के साथ संलग्न नक्शे में तथाकथित वैकल्पिक रास्ते का लाल स्याही से डोटेड लाईन से अंकन किया गया है जो खसरा संख्या 16 की पूर्वी मेड़ पर पश्चिम की ओर दर्शाया गया है जबकि प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा तथाकथित वैकल्पिक रास्ते को जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित नजरी नक्शा परिशिष्ट–"अ" में लाल स्याही से "ए" से "बी" के अनुसार खसरा संख्या 17 व 18 की पूर्वी मेड़ में विद्यमान होने के कथन किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के कथनानुसार खसरा सख्या 17 व 18 की पूर्वी मेंड़ से होकर खसरा संख्या 19 तक जाने वाले तथाकथित वैकल्पिक रास्ते के सम्बंध में रिपोर्ट तलब किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा सख्या 17 व 18 की पूर्वी मेंड़ से होकर खसरा संख्या 19 तक जाने वाले तथाकथित वैकल्पिक रास्ते के सम्बंध में कोई रिपोर्ट तलब नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः तलब की गई मोका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 के अनुसार प्रार्थी

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की खसरा संख्या 19 में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 16 में होकर खसरा संख्या 20 की पश्चिमी उत्तर की मेड़ तक विद्यमान होने का अंकन किया गया है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा कथित खसरा संख्या 17 व 18 की पूर्वी मेड़ में तथाकथित रूप से विद्यमान वैकल्पिक रास्ते को दृष्टिगत रखते हुए तैयार नहीं की गई है। अतः प्रश्गनत मोका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 68 से 70 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से त्रुटिपूर्ण है। हमारे मत में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की खसरा संख्या 19 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ते के सम्बंध में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कथनानुसार खसरा संख्या 17 व 18 की पश्चिमी मेड़ तथा अप्रार्थीगण अपीलांटगण के कथनानुसार खसरा संख्या 17 व 18 की पूर्वी मेंड़ की ओर से खसरा संख्या 19 तक जाने वाले रास्ते के सम्बंध में तुलनात्मक रूप से रिपोर्ट तलब किया जाना आवश्यक है, ताकि उक्त दोनो रास्तो के लघुतम होने का निर्धारण किया जा सके। प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 में तथाकथित वैकल्पिक रास्ते की लम्बाई का कोई अंकन नहीं किया गया है जिससे यह निर्धारण किया जाना संभव नहीं है कि मोका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 में अंकित रास्ते की मोका रिपोर्ट दिनांक 29.01.2024 में अंकित खसरा संख्या 17 व 18 की पश्चिमी मेड़ से होकर खसरा संख्या 19 तक जाने वाले रास्ते से दूरी तुलनात्मक रूप से कम है अथवा अधिक। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत मोका रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 व मोका रिपोर्ट दिनांक 29.01.2024 वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखे बिना ही तैयार की गई है जो राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 68 से 70 के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होनें से त्रुटिपूर्ण है। उक्त त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 व 29.01.2024 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा संख्या 17 व 18 की भूमि में रास्ता कायम किए जाने का आदेश अपने निर्णय दिनांक 30.05.2025 में अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में विवादित रास्ते की मोका रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया जाना आवश्यक है, साथ ही मोका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत आपत्तियों का न्यायोचित निस्तारण करते हुए निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या

133/2022 में पारित निर्णय 30.05.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वैकल्पिक रास्ते के बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुए विवादित रास्ते की रिपोर्ट उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार करवाई जावे। मोका रिपोर्ट पर उभयपक्षकारान को आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जावे। प्रस्तुत की गई आपत्तियों का विधि अनुसार निस्तारण करते हुए राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29.01.2026 को स्वयं उपस्थित रहे।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/12/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा